क्षेत्र के अन्दर शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र हैं और इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) अपनी आवश्यकता के अनुसार और भालतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। चूंकि सम्बन्धित बैंक विद्यमान वाणिज्यिक प्रतिफल के आधार पर शाखाएं खोलने का निर्णय लेते हैं, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी शाखाएं खोली जाएंगी।

दरभंगा जिले का अग्रणी बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उन्हें त्रिमुहानी घाट, बडेड़ा, जिला दरभंगा, बिहार में बैंक शाखा खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। बैंक ने प्रस्ताव की सम्भाव्यता का पतां लगाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1997-98 के दौरान, जबकि बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 11 शाखाएं खोली गई हैं, परन्तु राज्य सहकारी बैंक की कोई शाखा राज्य में नहीं खोली गई है।

Difference between TA of Gazetted and Non-Gazetted employees

3741. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMTI MALTI SHARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the rationale behind the steep difference between the transport allowance granted for Gazetted *vis-a-vis* non-Gazetted officers;

(b) whether Government are aware that it is literally not possible to commute with Rs. lOO*- as transport allowance in large metropolitan centres;

(c) the steps being taken by Government to revise the measly allocation of Rs. 100/-to a large section of non-Gazetted employees;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): *(a)* to (e) The Fifth Central Pay Commission had recommended varying rates of Transport Allowance to Central Government employees to suitably compensate them for the cost incurred on account of commuting between the place of residence and the place of duty. The Government have accepted the recommendation and do not propose to modify the rates.

भारतीय जीवन बीमा निगम के राजकोट विभागीय मंडल के कर्मचारी

3742. **श्री अखिलेश दासः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के राजकोट विभागीय मंडल में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो एक दशम से भी अधिक अवधि से राजकोट कार्यालय में तैनात हैं;

(ख) उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां इनकी लम्बी अवधि की तैनाती से तथा उनके एकाधिकार से निगम के कार्यों में लापरवाही पायी गई है; और

(घ) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को इनका तत्काल तबादला करने के निर्देश दिए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि राजकोट मंडल कार्यालय में पिछले दस वर्षों से अधिक समय सेनियुक्त कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार 100 है:

श्रेणी I — 1

श्रेणी II — 72

श्रेणी III -27

(ग) जी, नहीं।

(घ) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण और उनकी तैनाती का मामला निगम का अपना आन्तरिक प्रशासनिक मामला है, और जिसके सम्बन्ध में सरकार का कोई हस्तक्षेत नहीं है।

Top Foreign Exchange Eamen

3743. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the top ten foreign exchange earnings by individuals such as players, magi-